

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर

ऑवर ब्रिज के पास, अल्कापुरी अलवर

E-mail: cdeoalwar@gmail.com, Phone No. 0144-2332363

क्रमांक : मुजिशिअ/अल/संस्थापन/फा-विद्या संबल/2026-27/

दिनांक:-

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ,
अलवर ।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर **विद्या संबल योजना** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में ।

प्रसंग:-श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का राजकाज पत्र क्रमांक 24275528 दिनांक 27.08.2026

श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक F-17 (10) Edu-1/Q-Edu.2022-00494-2429645 दिनांक 18.08.2026 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 के तहत शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण इस जिले के विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु बनाने एवं विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के रिक्त पदों के लिए ही सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु जारी किये गये समयबद्ध कार्यक्रम की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय सीमा में विज्ञप्ति में अंकित शर्तों की पूर्ण पारदर्शिता के साथ पालना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न:- प्रासंगिक पत्र की प्रति, विज्ञप्ति एवं आवेदन फार्म ।

(महेश कुमार गुप्ता)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

क्रमांक : क्रमांक : मुजिशिअ/अल/संस्थापन/फा-विद्या संबल/2026-27/

दिनांक:-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1- श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
- 2- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर ।
- 3- श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर ।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक अलवर ।
- 5- समस्त पी.ई.ई.ओ./संस्थाप्रधान. जिला अलवर को देकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित करें ।
- 6- कार्यालय प्रति ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

RajKaj Ref No.:
24284995



Digitally signed by
MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-28 18:58:17
IST

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अलवर

क्रमांक:—मुजिशिअ/अल/संस्थापन/2026/

2168

दिनांक: 28.08.2026

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं० 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या संबल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैंकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताएं/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

(1) विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं—

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट:—

- गेस्ट फैंकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैंकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
- सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
- सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैंकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां:

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैंकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन—

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://education.rajasthan.gov.in> पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया—

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

RajKaj Ref No.:
24284986



Digitally signed by
MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-28 18:56:09
IST

(5) वरीयता का निर्धारण—

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:—

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:—

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय—

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा—

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रु.	30000 रु.

(8) अन्य शर्तें—

- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
- उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित हैं।
- गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

RajKaj Ref No.:
24284986



Digitally signed by
MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-28 18:56:09
IST

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी:—(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2	पीईईओविद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओस्तर)	08.09.2026 (सायं 04:00 बजे तक)
5	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जाँच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थायी) तैयार कर जारी करना एवं अस्थायी वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।	09.09.2026 से 10.09.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थायी वरीयता सूची जारी कर, स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 03-03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)
7	पीईईओविद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन-सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026(सायं 5:00 बजे तक)
10	आदेश जारी करना	15.09.2026(रात्रि 11:59 PM तक)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर अलवर।
3. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक, अलवर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अलवर।
6. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर

RajKaj Ref No.:
24284986



Digitally signed by
MAHESH KUMAR GUPTA
Designation: Chief District
Education Officer
Date: 2026-08-28 18:56:09
IST

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/गेस्ट फ़ैकल्टी/12226/2024-25528-5729091 दिनांक: यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :- माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फ़ैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं० 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फ़ैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फ़ैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावे।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ), समसा

प्रतिलिपि:निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
24275528

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ), समसा
Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-27
20:03:09 IST



आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम:—

2. पिता का नाम:—

3. आवेदित विद्यालय का नाम:—

4. आवेदित पद का नाम:—

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:—

6. जन्म तिथि:—

7. शैक्षणिक योग्यता:—

1. माध्यमिक

वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-1

2. उच्च माध्यमिक

वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-2

3. स्नातक

वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-3

4. अधिस्नातक

वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता

1. बी.एड./समकक्ष

वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-5

2. डी.एल.एड./समकक्ष

वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)--- रीट,उत्तीर्णता

वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-7

10. निवास का पता:—

1. स्थाई-----

2.वर्तमान-----

11. मोबाईल नम्बर:-----

12. जाति वर्ग-----प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)।

संलग्न-8

13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन)

संलग्न-9

14. आधार कार्ड की प्रति।

संलग्न-10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र।

संलग्न-11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)

संलग्न-12 व 13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि—चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फ़ैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायीराजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची—संलग्नक 1 से 13(स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ)एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645

जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर ।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

विषय :- विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में ।

संदर्भ :- शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है ।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए । किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए ।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी/कार्मिक जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें । योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग ।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref No.:
24116683

Signature Not Verified
Digitally Signed by V.
Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date : 18-08-2026 06:06:07

क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों—विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये 'विद्या संबल योजना' के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए 'विद्या संबल योजना' लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलारस्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

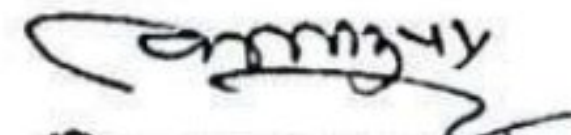


(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रायली।



(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गैस्ट फौकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकल्पांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फौकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करुंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करुंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरान्त स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फ़ैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता